2021/112

01/5/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA प्रस्तुत किया जिसकी प्रतियां प्रार्थी को दिलाई गयी। जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 1, 2 का दामाद है एवं प्रार्थी की पत्नी बिलकिस बानो विपक्षी संख्या 1, 2 की पुत्री है। विपक्षी संख्या 1 अनवर मोहम्मद ने कपडे का व्यवसाय कर रखा है, जिसकी 32 वर्षों से सार सम्भाल, क्रय विक्रय, बैंकिंग व अन्य विनिमय लेन देन प्रार्थी की पत्नी बिलकिस बानो द्वारा किया जा रहा है एवं व्यवसाय से प्राप्त आय अपने पिता विपक्षी संख्या 1 को अमानतन सौंप देती है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त आय से ग्राम सेती में कृषि आराजी संख्या 1184 रकबा 0.06 हे., 1185 रकबा [illegible] 0.9550 हे. कीता 2 कुल रकबा 1.0150 हे. क्रय की जिस पर प्रार्थी की पत्नी बिलकिस बानो का पूर्ण हक व अधिकार है। उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा प्रार्थी द्वारा क्रय कर लिया गया, जिस पर प्रार्थी बहैसियत मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। विपक्षीगण के मन में जमीनों की कीमत बढ़ जाने से बदयानित आ गयी है, जिससे वे प्रार्थी को उसके 1/4 हक हिस्से से महरूम कर देना चाहते हैं एवं विपक्षीगण द्वारा वाद पत्र की आड़ में प्रार्थी के 1/4 हक हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः विपक्षीगण

...लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.04.30 18:10:08 IST
Reason: SelfAttested

को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि तफसला वार बअनवान हाजी अनवर मोहम्मद बनाम उस्मान गनी के निस्तारण तक प्रार्थी के 1/4 हक हिस्से के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें ना करावें एवं ना ही प्रार्थी के क्रय शुदा 1/4 हक व हिस्से को किसी माध्यम से हस्तान्तरण / अन्तरण या खुर्द-बुर्द न स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य गलत एवं आधारहीन है। विपक्षी संख्या 1 को अपने व्यवसाय के संचालन हेतु नौकर की आवश्यकता होने से अपनी पुत्री बिलकिस एवं प्रार्थी दामाद होने से व्यापार मे सहयोग करने हेतु नौकर के रूप मे रखा था। जेरबहस आराजीयात खरीद के वक्त प्रार्थी की पत्नी की उम्र मात्र 22 वर्ष थी, जिसकी किसी प्रकार की कोई आय नही थी। प्रार्थी व उसकी पत्नी बिलकिस ने विपक्षी संख्या 1,2 के साथ उक्त आराजीयात को लेकर पुत्री होने से अधिकार जताते हुए लडाई-झगडा ~~किया~~ किया, जिसके कारण विपक्षी संख्या 1 ने विवाद निपटाने हेतु अपने 1/2 हिस्से मे से 1/4 हिस्सा प्रार्थी को बिना प्रतिफल जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र प्रार्थी के नाम किया 1/4 हिस्सा प्रार्थी के नाम रेकार्ड मे दर्ज हो जाने से ....लगातार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.04.30 13:10:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उसके मन मे बदनियति आ गयी है व शेष हक हिस्सा जो विपक्षी संख्या 1,2 के नाम पर है, उसको हड़पने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि प्रार्थी विवादित आराजीयात मे 1/4 हक हिस्से का खातेदार हो जाने से विपक्षीगण ने प्रार्थी का हक व हिस्सा अलग कराने के लिए बटंवारे का वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। विपक्षी संख्या 1,2 पति पत्नी होकर अतिवृद्ध है, जिनको नितान्त सेवा व पैसे की जरूरत है, जिनकी पूर्ति के लिए विपक्षी संख्या 1 व 2 अपनी आराजीयात विक्रय करना चाह रहे है, जिनको प्रार्थी बिना किसी हक व अधिकार के रोकना चाहता है, जिसने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा कोई वाद पत्र या जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया है। बिना वाद पत्र के प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थी द्वारा आधारहीन तथ्यों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिन्तन मनन किया। ग्राम सेंती की आराजी संख्या 1184, 1185 कीता 2 रकबा 1.0150 हे० मे प्रार्थी का 1/4, विपक्षी संख्या 1 का 1/4 व विपक्षी संख्या 2 का 1/2 हक हिस्सा निहित है, जिसका हिस्सेनुसार विभाजन हेतु विपक्षी संख्या 1,2 के द्वारा न्यायालय मे विभाजन हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजीयात के 3/4 हक हिस्से के खातेदार होने से उन्हे अपना हक हिस्से तक की भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने से रोका जाना उचित नही है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन विपक्षीगण के पक्ष मे पाया जाता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.04.30 13:10:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी